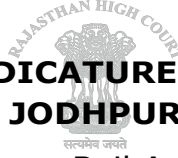




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7187/2026

Kamlesh S/o Shri Mishrilal, Aged About 21 Years, Resident Of
Rungadi, Tehsil Rani, District Pali. (Presently Lodged In Sub Jail,
Bali, Distt. Pali)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Kavita D/o Raju Ram, Resident Of Ramaji Ka Guda, Police
Station Khiwada, District Pali.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Mishrilal (father of Petitioner)
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

04/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके पिता श्री मिश्रीलाल व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित है। उन्होंने अपनी पहचान बाबत आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की जिसे अभिलेख पर रखा जावे।
02. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **खिंवाड़ा, जिला पाली** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **75/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **64(2) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
03. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
04. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर उसके पिता श्री मिश्रीलाल का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। पीड़िता व्यस्क है। प्रार्थी/अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अधिक से अधिक सहमति से संबंध बनाने का मामला है। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।



05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

06. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, केस डायरी का अवलोकन किया। पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के बयान का अवलोकन किया जिसमें तीन साल से लगातार दोस्ती होना व तीन साल से गलत काम कर रहे होना, मम्मी-पापा के राजी नहीं होने से शादी नहीं होना ओर बाद में उसके द्वारा कहा गया कि मम्मी-पापा नहीं मानेंगे तो वह कोर्ट में चलकर शादी कर लेगा लेकिन शादी से इनकार कर दिया। वर्तमान में पीड़िता की उम्र 22 वर्ष की है, तीन साल से एक-दूसरे से संबंध होना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

07. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **कमलेश पुत्र मिश्रीलाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J